



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

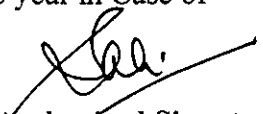
(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :-	16042015003	Block/Sector	-----/N/A
Plot/House	A.NO-523,524/-----	Scheme	-----
Permit Date	06-10-2015	Application Date	16-04-2015
Permit No.	36/ENF/15-16		
Area(Place)	GEETA NAGAR		
Land Usage	Group Housing		
Applicant's Name	A.R.CITY DEVELOPERS PVT.LTD DIR MR ATMA PRAKASH KHATRI		
Present Address	113/79,SWAROOP NAGAR KANPUR		

Sanctioned vide order dated : 20-08-2015 V.C by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.


Authorised Signatory

सरदत अली
अधीक्षण जभियन्ता (प्रवर्तन)
का०वि०प्रा०

अनुज्ञा कि शर्तें

- | | |
|-----|---|
| 1- | यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूमि में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही हेतु निरोग्य अथवा विधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी प्रकार का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। |
| 2- | यह अनुज्ञा किसी भी समय अधिनियम की धारा 15 (9) के अंतर्गत प्रत्योवदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है। |
| 3- | किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में चाहे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे में दर्ज किये गए की अनुज्ञा अमान्य होगी। उपरोक्त प्रकार के निर्माण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार अनुमन्य नहीं हैं। |
| 4- | अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी, परन्तु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के प्रस्तर संख्या-3.1.1 क के अंतर्गत परिवर्तन हेतु निर्माण अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। |
| 5- | यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार न हटा दिए जायें। |
| 6- | रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार करनी होगी। पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा। |
| 7- | भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 की उपविधि संख्या-13.1(1) से आच्छादित भवनों का निर्माण भूकम्परोधी करना होगा। |
| 8- | दिये गये शपथ-पत्र के क्रम में भविष्य में विकास शुल्क के मद में कोई देयता बनती है तो देय होगी। |
| 9- | भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या-3.1.8 से आच्छादित भवनों में अधिनियम की धारा 15 (ए)-1 के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अधिनियम की धारा 15(ए)-2 से आच्छादित भवनों यथा व्यवसायिक/गुप हाउसिंग भवनों में बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भवन में प्रवेश वर्जित होगा। |
| 10- | भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी। |
| 11- | मानचित्र की स्वीकृति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा महायोजना-2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रदान की जा रही है। |
| 12- | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(3)/32(1) में प्रदत्त उपरोक्त स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर पर अधिनियम की धारा 27, 26 एवं 28 में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। |
| 13- | उओप्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के प्राविधानों में भाग-4(5) का अनुपालन करना होगा। |
| 14- | पूर्व स्वीकृत मानचित्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा। |

15 - જૂનિયર પ્રમાણ પાસ બે સમગ્ર પ્રવૃત્તિ વિભાગ ની ૫૦.૦૮ ગ્રાન્ટ કરાવી દેશે.

K.L. 29